APP-A
CRIM-1

FORM NO. 111
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर, जिला भीलवाडा

जीवराज S/o बालू बनाम पोकर S/o धीसा

केस्म मुकदमा 128 नं. 64 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.18	–वाद / प्रार्थना पत्र बाद जाचं प्राप्त हुआ। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिसल वास्ते सम्मन बईन्तजार दिनांक ~~[illegible]~~ 6.2.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बदनोर	
06.2.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। विधिवत आवाजें लगवाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। **आदेश** प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बदनोर को तहरीर जारी कर आदेश की पालना बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 6-2-19 सहायक कलक्टर (SDO) बदनोर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बदनोर, जिला भीलवाडा

कमांक/रा.लो./कोर्ट/2019/179 दिनांक– 18-2-19

प्रेषिति–

तहसीलदार, बदनोर

(दौ प्रतियो में)

विषय–मु.त.प्र.सं 64/2018 अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम।

आदेश दिनांकः–06.02.19 की पालनार्थ बाबत

अनवान

1. जीयाराम पुत्र बालू भील निवासी गारियाखेडा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।–प्रार्थी

बनाम

1. पोखर पुत्र घीसा गुर्जर निवासी गारियाखेडा बदनोर जिला भीलवाडा।
2. हरदेव पुत्र हजारी गुर्जर निवासी गारियाखेड तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. तेजू पुत्र खेमा गुर्जर निवासी नारायणपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. तेजू पुत्र बगतावर गुर्जर निवासी नारायणपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब बदनोर जिला भीलवाडा।–विपक्षीगण

विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेशानुसार लेख है कि खाता संख्या 94 की आराजी नम्बर 861 रकबा 0.17 है0, आराजी नम्बर 862 रकबा 0.16 है0, आराजी नं0 863 रकबा 0.23 है0, आराजी नं0 864 रकबा 0.15 है0, आराजी नं0 865 रकबा 0.12 है0, आराजी नं0 866 रकबा 0.16 है0, भूमि वाके ग्राम गारियाखेडा पटवार हल्का चतरपुरा की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भू0अभिलेख निरीक्षक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा किये जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। अतएंव पत्थरगढी करा पालना रिर्पोट मय चालान की प्रति, मौका पर्चा रिर्पोट मय तामिलि सूचना रिर्पोट सहित इस न्यायालय में 15 दिवस में आवश्यक रुप से भिजवावे।

सहायक कलक्टर
(S.D.O. बदनोर)

Scanned by CamScanner